न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर. ए. एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 34 / 2022

प्रार्थी :– निम्बाराम पुत्र सम्पतराम जाति–जाट निवासी भारी नगर तहसील–बावड़ी, जिला–जोधपुर राज्य राजस्थान ।

बनाम

अप्रार्थी:–

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावड़ी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर राज. ।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता :–

1. *श्री सोहनलाल चौधरी प्रार्थी की ओर से।*
2. *सरकारी पैरोकार जरिये तहसीलदार बावड़ी अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।*

–:निर्णय:–

दिनांक 10/3/2022

यह है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम सोयला पटवार हल्का सोयला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी के खाते में दर्ज भूमि आई हुई है, जो खसरा संख्या 310 / मि6 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ जिसको नवीन खाता परिर्वतन कर इसके स्थान पर खसरा नम्बर 310 / 15 दर्ज कर खाता परिर्वतन किया गया। जिसकों आगें के पद पर वादग्रस्त तरमीम के नाम से संबांधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबंदी मय नक्शा की सम्वत् 2058 से 2061 तक प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। प्रार्थी की खरीद सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 310 / मि6 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा भूमि को प्रार्थी ने जरिये बेचान रजिस्ट्री जोगाराम पुत्र भीखाराम पुत्र जाति सुनार निवासी धनारी कला तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर वाले से खरीद के पश्चात् प्रार्थी के नाम से नामान्तरण संख्या 2297 दिनांक 05.09.2016 को स्वीकृत होकर मूल खसरे से अलग तरमीम हुआ तथा प्रार्थी का स्वतन्त्र खातेदारी का खेत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया फिर राजस्व रिकार्ड को दुरस्त करने में पूर्व में जारी खसरा नं. 310 / मि6 को सेटलमेन्ट की शुद्वि के अनुसार उसके स्थान पर खसरा नं. 310 / 15 दर्ज कर शुद्व किया गया । तथा नक्शे में लाल स्याही से तरमीम कर तरमीम दर्ज की गयी । तब से लेकर आदिनांक तक प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। हाल ही में [illegible] के दौरान प्रार्थी की स्वतन्त्र खाते की कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय [illegible] रकबे में मर्ज कर दिया गया। तथा प्रार्थी खातेदार का नाम उसकी खातेदारी भूमि में से विलापित [illegible] में जिस खातेदार से प्रार्थी ने भूमि खरीद कर उसी खातेदार का फिर से जमाबंदी में नाम दर्ज कर दिया गया । एवं प्रार्थी का उसकी खातेदारी भूमि में नाम विलापित कर दिया गया जो गैर कानूनी एवं नियम विरूद्व होने से पुनः रिकार्ड में पूर्व स्थिति बाल की जानी अति आवश्यक एवं लाजमी होने से रेकार्ड दुरस्ती फरमायी जावे। प्रार्थी द्वारा खरीद सुदा भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:54:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नामान्तरण अनुसार ही मौके पर तरमीम कर मूल नक्शे में अलग से लाल स्याही से तरमीम किया गया। उक्त तरमीम को भी ऑनलाइन करते समय मूल नक्शे में समायोजित (मर्ज) कर दिया गया। जो गलत होने से पुनः अलग से तरमीम दर्शायी जाने योग्य होने से पुनः खसरा संख्या 310/15 तरमीम ऑनलाईन नक्शे मे दर्शायी जायी। खसरा संख्या 310/15 की तरमीम राजस्व नक्शे को ऑनलाईन नक्शे में दर्शाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेवन से पूर्व में दर्शायी अलग नक्शे की तरमीम को विलोपित करते हुए मूल नक्शे में समायोजित (मर्ज) कर दिया। एवं पूर्व में खातेदार द्वारा बेचान के पश्चात प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद होने के पश्चात् भी प्रार्थी का नाम पुनः वर्तमान जमांबदी से विलोपित कर पूर्व खातेदार का नाम दर्ज कर दिया। तथा खसरा संख्या 310/15 के तरमीम को भी मूल खसरे में मर्ज दर्शाया गया। जो लिपकीय त्रुटि है। इसलिए उक्त प्रकरण लिपकीय त्रुटि का बनता है। जिससे त्रुटि से सुधार का दुरस्त किया जावे।

अतः प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है। कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ग्राम सोयला पटवार हल्का सोयला तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 310/15 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि को पूर्व ऑफलाईन राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी अनुसार ऑनलाईन जमाबंदी में प्रार्थी का नाम इन्द्राज कर पूर्व ऑफलाईन नक्शे की तरमीम अनुसार ऑनलाईन नक्शे में वर्तमान तरमीम की जगह दर्शायी जावे । वादग्रस्त वर्तमान तरमीम एवं जमाबंदी में प्रार्थी की जगह दर्ज हुए गलत नाम जोगाराम पुत्र भीखाराम को हटाया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम निम्बाराम पुत्र सम्पराज स्वतंन्त्र खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे। एवं पूर्व तरमीम के अनुसार वर्तमान ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड के नक्शे में अलग से तरमीम दर्शाये जावे। इस आश्य की पालना हेतु तहसीलदार बावड़ी को आदेश जारी करावे। इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बावड़ी को नोटिस जारी कर उक्त प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बावड़ी ने मौका रिपोर्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें अंकन कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार करते हुए ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड में खातेदार का नाम विलोपित कर होना स्वीकार कर सर्म्पूण खाता मर्ज होना बताया। उक्त प्रकरण रेकर्ड दुरस्ती का होना बताया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त प्रकरण रेकार्ड एवं तरमीम शुद्धि का प्रमाणित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:54:39 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाता है, कि राजस्व ग्राम सोयला , पटवार हल्का सोयला, तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में स्थित खसरा 310/15 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा भूमि में गलत इन्द्राज हुए जोगाराम पुत्र भीखाराम के स्थान पर निम्बाराम पुत्र सम्पत राम दर्ज करे। तथा खसरा संख्या 310 में से रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा का अलग खाता किया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम करने के

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट को इस आदेश का भाग माना जावे। एवं निर्णय का अंग सुमार समझा जावे। तहसीलदार बावडी को आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी कर माफिक आदेश पालना हो।

श्रीमती सुमित्रा पारीक (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी, जिला जोधपुर

आदेश आज दिनांक 10/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्रीमती सुमित्रा पारीक (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी, जिला जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:54:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner